



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042023-245251
CG-DL-E-19042023-245251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1696]
No. 1696]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2023/चैत्र 28, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2023/CHAITRA 28, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2023

का.आ. 1776(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में NH75 के कि.मी. 200.9 से कि.मी.219.6 (डी.एल.ए.ओ. गढ़वा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "02.10.2022" को "हिंदुस्तान " और "पायनियर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में NH-75 के कि.मी. 200.9 से कि.मी.219.6 (डी.एल.ए.ओ, गढ़वा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड		जिले का नाम: गढ़वा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गढ़वा				
	गांव का नाम: बघौता				
1	473	सरकारी(गैरमजरूआ)	परती कदीम	0.0046216	सरयू प्रसाद यादव पिता तुलसी प्रसाद यादव व शत्रुधन प्रसाद पिता रामधारी यादव एवं अन्य (473)
	गांव का नाम: हुर				
2	303	निजी(दोन ii)	रैयती	0.0668555	1. निर्मला कुंवर पति- स्व० दीनानाथ तिवारी 2. दीनबंधू तिवारी वो 3. संजय तिवारी वो 4. पंकज तिवारी पिता- स्व० नागेश्वर तिवारी (303)
3	614	निजी(धान II)	रैयती	0.0362606	1. निर्मला कुंवर पति- स्व० दीनानाथ तिवारी 2. दीनबंधू तिवारी वो 3. संजय तिवारी वो 4. पंकज तिवारी पिता- स्व० नागेश्वर तिवारी (614)
	गांव का नाम: कल्यानपुर				
4	1187	निजी(धान ii)	रैयती	0.0420882	हदीस खां व रहीस खां पिता रहमुदीन खां (1187)
5	1201	निजी(दोन ii)	रैयती	0.0080939	अलीमुदीन अंसारी व सरफुदीन अंसारी पिता रहमदील शेख (1201)
6	1252	निजी(धान ii)	रैयती	0.0070822	महेश उरांव व कामेश्वर उरांव पिता हलकन उरांव तारा कुंवर पति स्व.शंकर उरांव व बसंती कुंवर पति स्व. शिव

					कुमार उरांव (1252)
7	1394	निजी(टांड ii)	रैयती	0.008106	रामजी विश्वकर्मा पिता परमेश्वर मिस्त्री (1394)
8	1395	निजी(टांड ii)	रैयती	0.0001093	गुलबास देवी पति रामचन्द्र राम (1395)
9	1436	निजी(मकान)	रैयती	0.0003845	शमसुद्दीन अंसारी व परवेज अंसारी पिता अब्दुल अंसारी (1436)
10	1968	निजी(टांड II)	रैयती	0.0004047	चन्द्रिका विश्वकर्मा व अम्बिका विश्वकर्मा मुकुन्द विश्वकर्मा पिता स्व. जवाहीर विश्वकर्मा व विमला शर्मा पति स्व. रामपूत विश्वकर्मा (1968)
	गांव का नाम: करमाही				
11	234	सरकारी(गैरमजरुआ)	परती कदीम	0.1578308	घिवहा नदी (झारखण्ड सरकार) (234)
	गांव का नाम: खजुरी				
12	162	सरकारी(टांड iii)	गैर मजरुवा	0.0088588	रेणु देवी पति नन्दलाल दुबे एवं अन्य (162)
13	165	सरकारी(टांड iii)	गैर मजरुवा	0.195346	रामलगन दुबे पिता वासुदेव दुबे एवं अन्य (165)
14	829	सरकारी(टांड iii)	गैर मजरुवा	0.0038446	लक्ष्मण दुबे पिता स्व.रामरूप दुबे एवं अन्य (829)
	गांव का नाम: लापो				
15	641	सरकारी(गैरमजरुवा)	परती गडहा	0.6097531	मोहम्मद इस्तेयाक खां पिता -अबु तालिब खां व मोहम्मद वसीम खां वगैरह पिता स्व. युनुस खां व सालदा बीबी पति ऐहसान खां व मोहम्मद ऐहसान खां पिता सोयेब खां व मोहम्मद इरफान खां पिता सोयेब खां व इरशाद खां पिता सोयेब खां व इस्फाक खां पिता सायेब खां व मुख्तार खां पिता इसरारूलहक खां व वायजुल हक खां वगैरह पिता सापिकुल हक खां व गुलाम हक खां पिता गुलाम मुस्तफा खां वगैरह पिता अब्दुल हकीम खां (641)
	गांव का नाम: मेढनाखुर्द				
16	560	निजी(बकास्त)	टांड-2	0.0870093	जवाहर राम पिता माधो राम व रामसकल राम पिता मालिकचन्द राम व हरिहर राम पिता स्व. लालजी राम व

					मुनी देवी पति ब्रह्मदेव राम (560)
	गांव का नाम: मुरका				
17	58	सरकारी(गैरमजरुआ)	परती कदीम	0.0040469	सुदामा राम चौबे पिता- रामकिसुन चौबे एवं अन्य के वंशज (58)
18	76	निजी(रैयती)	बकास्त	0.0261028	सुदामा राम चौबे पिता- रामकिसुन चौबे एवं अन्य के वंशज (76)
19	84	निजी(रैयती)	बकास्त	0.0150951	सुदामा राम चौबे पिता- रामकिसुन चौबे एवं अन्य के वंशज (84)
	गांव का नाम: पिपरा				
20	67	निजी(रैयती)	बकास्त	0.0809389	उमैर खां पिता स्व. दीना खां व हबीब खां पिता जुबैर खां (67)
			कुल	1.3628328	

[फा. सं. : NHAI/PIU/RNC/NH-75/Section-IV(LA)/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2023

S.O. 1776(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-75 on the stretch of land from Km 200.900 to Km 219.600 (DLAO, GARHWA) in the district of GARHWA in the state of JHARKHAND

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan” and “Pioneer” both dated 02.10.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH75 in the stretch of land from Km. 200.900 to Km. 219.600 (DLAO GARHWA) in the district of GARHWA in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND District: GARHWA					
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Garhwa				
	Village: Baghuta				
1	473	Government(Gair Majruwa)	Parti Kadim	0.0046216	Saryu Prasad Yadav S/o Tulsi Prasad Yadav and Shatrughan Prasad S/o Ramdhari Yadav and others 473
	Village: Hur				
2	303	Private(Don ii)	Raiyti	0.0668555	1. Nirmala Kuwar W/O- Late Dinanath Tiwary 2. Dinbandhu Tiwary wo 3. Sanjay Tiwary wo 4. Pankaj Tiwary S/O- Late Nagenshwar Tiwary 303
3	614	Private(Dhan ii)	Raiyti	0.0362606	1. Nirmala Kuwar W/O- Late Dinanath Tiwary 2. Dinbandhu Tiwary wo 3. Sanjay Tiwary wo 4. Pankaj Tiwary S/O- Late Nagenshwar Tiwary 614
	Village: Kalyanpur				
4	1187	Private(Dhan ii)	Raiyti	0.0420882	Hadees Khan and Rahis Khan S/o Rahmudin Khan 1187
5	1201	Private(Don ii)	Raiyti	0.0080939	Alimuddin Ansari and Sarfudin Ansari S/o Rahmdil Shaikh 1201
6	1252	Private(Dhan ii)	Raiyti	0.0070822	Mahesh Oraon and Kameshwar Oraon S/o Halkan Oraon Tara Kunwar W/o Late Shankar Oraon and Basanti Kuwar W/o Late Shiv Kumar Oraon 1252
7	1394	Private(Tand ii)	Raiyti	0.008106	Ramji Vishwakarma S/o Parmeshwar Mistry 1394
8	1395	Private(Tand ii)	Raiyti	0.0001093	Gulbas Devi W/o Ramchandra Ram 1395
9	1436	Private(Makan)	Raiyti	0.0003845	Shamsudin Ansari and Parvez Ansari S/o Abdul Ansari 1436
10	1968	Private(Tand II)	Raiyti	0.0004047	Chandrika Vishwakarma and

					Ambika Vishwakarma Mukund Vishwakarma S/o Late Jawahir Vishwakarma and Vimla Sharma W/o Late Rampreet Vishwakarma 1968
	Village: Karmahi				
11	234	Government(Gair Majruwa)	Parti Kadim	0.1578308	Ghivaha River (Government of Jharkhand) 234
	Village: Khajuri				
12	162	Government(Tand iii)	Gair Majruwa	0.0088588	Renu Devi W/o Nandlal Dubey and others 162
13	165	Government(Tand iii)	Gair Majruwa	0.195346	Ramlagan Dubey S/o Vasudev Dubey and others 165
14	829	Government(Tand iii)	Gair Majruwa	0.0038446	Laxman Dubey S/o Late Ramroop Dubey and others 829
	Village: Lapo				
15	641	Government(Gairmajruwa)	Parti Gadha	0.6097531	Mohammed Isteyak Khan S/o -Abu Talib Khan and Mohammad Wasim Khan etc. S/o late Yunus Khan and Salda Bibi W/o Ehsan Khan and Mohammad Ehsan Khan S/o Soyeb Khan and Mohammad Irfan Khan S/o Soyeb Khan and Irshad Khan S/o Soyeb Khan and Isfaq Khan S/o Sayeb Khan and Mukhtar Khan S/o Israrul Haq Khan and Vaijul Haq Khan etc. S/o Sapikul Haq Khan and Ghulam Haq Khan S/o Ghulam Mustafa Khan etc. S/o Abdul Hakim Khan 641
	Village: Merhna Khurd				
16	560	Private(Bakast)	Tand-2	0.0870093	Jawahar Ram S/o Madho Ram and Ramsakal Ram S/o Malikchand Ram and Harihar Ram S/o Late Lalji Ram and Muni Devi W/o Brahmdev Ram 560
	Village: Murka				
17	58	Government(Gairmajruwa)	Parti kadim	0.0040469	Sudama Ram Chaubey S/O- Ramkisun Chaubey And Other Family Member 58
18	76	Private(Raiyti)	Bakast	0.0261028	Sudama Ram Chaubey S/O- Ramkisun Chaubey And Other Family Member 76
19	84	Private(Raiyti)	Bakast	0.0150951	Sudama Ram Chaubey S/O-

					Ramkisun Chaubey And Other Family Member 84
	Village: Pipra				
20	67	Private(Raiyti)	Bakast	0.0809389	Umair Khan S/o Late. Dina Khan and Habib Khan S/o Zubair Khan 67
			TOTAL	1.3628328	

[F. No. : NHAI/PIU/RNC/NH-75/Section-IV(LA)/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.